

## कार्यालय

## क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

निधि भवन, विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर—302 005

संख्या आर०जे० १९८८०

अनु०तृतीय/आवृति

८२७१

२२ DEC 1999

सेवा में,

श्री/मैसर्सं *Rajasthan Allied Security Services (P) Ltd.*  
 ... 109, Guru Nanak Colony, Ranjeet Nagar Road,  
 Bharatpur ..... पिन .....

विषय : कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 और उसके अन्तर्गत रचित योजनाएं।

मैसर्सं *Rajasthan Allied Security Services (P) Ltd.*

*Bharatpur* ..... पर लागू होगा।

महोदय,

आपके द्वारा दिनांक: ..... को प्रेपित विवरण तथा आपकी स्थापना के प्रबत्तन अधिकारी द्वारा दिनांक १५.८.९० को द्ये गये निरीक्षण के आधार पर स्पष्ट होता है कि :

(क) आपकी स्थापना/फैक्ट्री अर्थात् मैसर्सं *Rajasthan Allied Security Services (P) Ltd.* *Bharatpur* ..... जो कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 में धाराओं की शेणियों/अनुसन्धी-I में नामित *Export Services* ..... कार्य में लगी हुई है।

(ख) उक्त स्थापना/फैक्ट्री में दिनांक १५.८.९० को २२ व्यक्ति कार्यरत पाये गये।

(ग) स्थापना द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 16(1) (बी) के उल्लंघनों के अन्तर्गत दिनांक ..... को ३ वर्षीय आरक्षिक अवधि प्राप्तीकरणी है। अतः कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 और उसके अन्तर्गत रचित योजनाएं, उपरोक्त नामित स्थापना, इसके मुख्य कार्यालय समस्त धाराओं/विभागों पर, (जोहे वे एक स्थान पूर्ण जोन अभी ऐसे हैं) दिनांक १५.८.९० से स्वार्ज/अव्याहीर रूप से लाग है, इसके अतिरिक्त स्थापना के पूर्व रिकार्डों को

अधिनियम की धारा 1(4) के अन्तर्गत स्वैच्छिक आधार पर नारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम आपकी स्थापना पर लागू करने के लिए आपके आवेदन पत्र संख्या ..... को संदर्भ में आपकी स्थापना धारा ..... को कोड संख्या आर०जे० ०/..... आवृद्धि तक केन्द्रीय भ०नि० आयुक्त द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा-1 उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त ग्राहितयों का उपयोग करते हुए अधिसूचना जारी की नहीं जाती है।

2. आपकी स्थापना कोड नम्बर आर.जे. 9870

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपचय अधिनियम, 1952 और

उसके अन्तर्गत रचित योजनाओं अर्थात् कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 और निकष पहुँच वीमा योजना, 1976 के विभिन्न उपचयों के अनुपालन के लिए आवंटित किया गया है। यह कोड नम्बर डॉ कार्यालय के साथ पत्राचार करते समय अनिवार्य रूप से उद्देश्य किया जाना चाहिए।

3. निकष वीमा द्वारा देय अंशदान की दर प्रत्येक कर्मचारी को देय मूल वेतन, महंगाई भत्ता (किसी भी खाद्य रियायत की नक्ख पूल्य सहित) और निर्गाह भत्ता, यदि कोई हो, प्रत्येक का ४.५३%/ $\frac{1}{10}$ % की दर से प्रतिमाह देय है। कर्मचारी द्वारा देय अंशदान की दर नियोजित द्वारा देय दर के समान होगी।

i. अंशदान की संगणना पूरे माह के दौरान मिलने वाले मूल वेतन, महंगाई महंभत्ता आदि, चाहे दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक आधार धर की गई हो, की जाएगी।

ii. अंशदान का संगणना हेतु वेतन को नजदीकी रूपमें अर्थात् 50 पैसा या अधिक को एक वृप्ती में तथा 50 से कम पैसे को छोड़कर की जाएगी।

4. सबस्थ को वेतन बेने से पूर्व आपको लिए यह आदेशक होगा कि आप उसके वेतन से अनिवार्य रूप से अंशदान काटें और अपने अंशदान तथा प्रशासकीय प्रभार की राशि सहित प्रत्येक माह के 15 दिनों से पूर्व भारतीय स्टेट बैंक में निधि के लेखों में सम्बन्धित चालानों द्वारा नियमित रूप से जमा करावें:—

(क) क.भ.नि. अंशदान

क.भ.नि. लेखा सं. 1 में जमा कराया जाये।

(ख) प्रशासकीय प्रभार

क.भ.नि. लेखा सं. 2 में जमा कराया जाये।

(ग) क. पेंशन अंशदान

क.पे. लेखा सं. 10 में जमा कराया जाये।

टिप्पणी : (1) प्रशासकीय प्रभार की दर मूल वेतन, महंगाई भत्ता जिसमें खाद्य मूल्य में किसी प्रकार की रियायत और प्रतिधारण भत्ता, यदि कोई हो, का १.५०% (१०८-१०८ से) है जो न्यूनतम रूप से ०.५ है।

(2) कृपया इस बात को नोट किया जाये कि सबस्थ के वेतन से समय पर कटौती नहीं की जाती तो नियोक्ता को दोनों के भाग की राशि स्वयं जमा करानी होगी, यद्योंकि कर्मचारी के बावजूद के वेतन से पहले के बकाया अंशदान की कटौती निषेध है केवल उन मामलों को छोड़कर जहां ये बसूली समय पर अकस्मात् गलती अथवा लिपिकीय गलती के कारण नहीं हो सकी।

(3) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 कवरेज में अंकित तिथि से लागू होगी।

5. उल्लिखित लेखा संख्या 1, 2 और 10 में जमा कराने के अतिरिक्त आपसे यह भी विनियत है कि आप कर्मचारी निकष पहुँच वीमा योजना, 1976 के अन्तर्गत अंशदान और प्रशासन प्रभार लेखा संख्या 21 और 22 में प्रत्येक नाटु के समाप्ति के 15 दिनों के अन्दर नियम-लिखित रूप से जमा करायें।

(i) निकष पहुँच वीमा निधि  
लेखा संख्या 21

इस लेखे में अंशदान की दर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को अदा किय जाने वाला मूल वेतन, महंगाई भत्ता, जिसमें खाद्य मूल्य में खाद्य रियायत और प्रतिधारण भत्ता यदि कोई है, की कुल राशि का ०.५% होगा।

(ii) शेषीय वीमा निधि प्रशासकीय  
लेखा संख्या 22

इस लेखे में प्रशासकीय प्रभार की दर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को अदा किये जाने वाला पूरा वेतन, महंगाई भत्ता, जिसमें खाद्य मूल्य सम्बन्धी रियायत और प्रतिधारण भत्ता यदि कोई है, की कुल राशि का ०.०१% जो कि न्यूनतम रु. 2/- प्रतिमाह है।

उपरोक्त लेखों अर्थात् 1, 2, 10, 21 और 22 में राशि विभिन्न चालानों के माध्यम से जमा कराई जाएगी और वैक से प्राप्त चालानों की तीन प्रतिश्टानांक संख्या 12 के (मंशोधित) (नीचे उल्लिखित) के साथ इस कार्यालय को भेजी जानी चाहिए।

6. आपसे यह अपेक्षित है कि आप निम्नलिखित स्थिरनं संयार कर प्रेषित करें :—

- (i) क.भ.नि. योजना, 1952 के अन्तर्गत  
फार्म सं. 9 तथा क. पे. योजना, 1995 के  
अन्तर्गत फार्म सं. 3 (क.पे.)

ये रिटर्न के बाद उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में इस कार्यालय को केवल एक बार जमा करानी है जिन्हें फैक्ट्री/स्थापना की स्कीम कार्यक्षेत्र में लाने की तिथि से सदस्य बनाया जाना अपेक्षित है या सदस्य बनने के पात्र हो गये हैं।

- (ii) क.भ.नि. योजना और क.पे. के  
अन्तर्गत फार्म सं. 2

ये फार्म सदस्य से दो प्रतियों में प्राप्त कर इस कार्यालय को भेजे जाने होते हैं।

- (iii) फार्म सं. 5-क

ये दो प्रतियों में इस कार्यालय को भेजे जाने चाहिए। मालिकों में किसी भी प्रकार का बाद में परिवर्तन आने पर इस फार्म के माध्यम से इस कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए।

- (iv) फार्म सं. 3-क

ये फार्म प्रत्येक सदस्य/कर्मचारी से सम्बन्धित फार्म हैं जिसे फैक्ट्री/स्थापना में ही रखा जाना चाहिए। इस फार्म में भ. नि. में किये गये अंशदान की प्रतिमाह प्रविष्ट करनी है।

- (v) फार्म सं. 6-क

यह अंशदान की वार्षिक विवरणी है और इसे प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 30 दिनों में फार्म 3-क के साथ (फरवरी माह सम्बन्धित अन्तिम अंशदान प्रत्येक वर्ष मार्च में अदा किया जाना चाहिए) कार्यालय को प्रस्तुत करता है।

- (vi) फार्म सं. 12-क

यह अंशदान की मासिक विवरणी है, जिसे प्रत्येक अगले माह की 25 तारीख तक इस कार्यालय को प्रस्तुत करना है। भारतीय स्टेट बैंक में जमा करायी गई राशि के चालान की तृतीय प्रति इसके साथ संलग्न की जानी चाहिए।

- (vii) फार्म सं. 5 और 10

यह इन कर्मचारियों से सम्बन्धित विवरणी है जिन्होंने माह के दौरान सदस्यता ग्रहण की या छोड़ दी है। इन्हें प्रत्येक अगले माह की 15 तारीख तक प्रस्तुत करनी है।

7. कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952, कर्मचारी पश्च योजना, 1995 और निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 से सम्बन्धित सभी निर्धारित फार्म भविष्य निधि कार्यालय में उपलब्ध हैं और इन्हें निःशुल्क आपकी मांगपत्र प्राप्त होने पर दिया जाता है। नमूना फार्म संलग्न है।


8. कर्मचारी पेशन योजना का अंशदान नियोक्ता अंशदान का 8.33% ही कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान से अलग किया जाना चाहिए और सम्बन्धित फार्म में अलग से दिखाकर लेखा सं. 10 में जमा कराया जाना है। अगर 10% की दर से भविष्य निधि की राशि दें तो नियोक्ता का शेष अंशदान 1.67% भविष्य निधि नियोक्ता अंशदान में ही जमा कराया जाना है।

9. कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा से सम्बन्धित अलगतक की ब्रकार्या राशि एक माह में या इससे भूत्ते जमा कराना है।

10. यदि इस योजना को लाग करते समय कार्म-स. 9 में दिखाए गए कर्मचारी स्थापना की निजि भविष्य निधि योजना के सदस्य वे तो उनके खाते में जमा भविष्य निधि की राशि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रखे जा रहे कर्मचारी भविष्य निधि लेखा संख्या 1 में निर्धारित चालानों में जमा कर चालान की तीसरी प्रति इस कार्पलिय को ऐजनी चाहिए। भविष्य निधि में निवेश की गई राशि से सम्बन्धित सभी प्रतिभूतियों को चार माह के अन्दर केंद्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि के पश्च में हस्तांतरण कर देना चाहिए और (हस्तांतरित) की गई इन प्रतिभूतियों को इस कार्पलिय को भेज दिया जाना चाहिए। राशि के अन्तर्द्वय के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों से सम्बन्धित नोट संलग्न किया जा रहा है। निजि भविष्य निधि के लिखों में उपलब्ध रोकड़ को इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर अन्तरण कर दिया जाना चाहिए अन्यथा निर्धारित तिथि के बाद रोकड़ अन्तरण करने के लिए आपको निर्धारित दर से शास्त्रक नुकसानी लादा करनी होगी।

कृपया पत्र व अनुलग्नकों की प्राप्ति रसीद भिजवाने की अवस्था करें।

मवदीय,

  
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

#### अनुलग्नक :

1. कर्मचारी भविष्य योजना, कर्मचारी पेंशन योजना, कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध वीमा योजना को लागू करने सम्बन्धित निर्देश।
2. लेखा संख्या आवंटित करने सम्बन्धित निर्देश।
3. पूर्व भविष्य निधि राशि और प्रतिभूतियों को हस्तांतरित करने से सम्बन्धित निर्देश।
4. कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान, कर्मचारी पेंशन अंशदान, निक्षेप सहबद्ध वीमा अंशदान की संगणना से सम्बन्धित रेडी रेकर।
5. कार्म-5क (तीन प्रतियों में)

#### प्रतिलिपि :

1. श्री/श्रीमता ..... प्रबलन अधिकारी ..... को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रेषित की जाती है। उनसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि स्थापना से सम्बन्धित कार्म-5 की दो प्रतियां स्थापना से प्राप्त कर 15 दिवस में कार्यालय को अप्रेषित करें।
2. लेखा अनुभाग, उप क्षेत्रीय कार्यालय ..... (यह समझा जाता है कि इस फैक्ट्री/स्थापना के पास भविष्य निधि से सम्बन्धित ऐसी राशि उपलब्ध है/नहीं है जिसे कर्मचारी भविष्य निधि को अंतरित किया जाना है। इस बाब्ता द्वारा रखे जा रहे अंशदान रजिस्टर में आवश्यक अध्यक्षियों के साथ नोट किया जाए।)
3. अति अनुभाग।
4. प्रबलन अनुभाग (पत्राचार प्रारम्भ करने हेतु)
5. कम्प्यूटर अनुभाग (सूचनार्थी एवं संस्थान मास्टर पूर्ण करने हेतु)
6. भंडार शाखा, अनुलग्नक क्र. 1 से 5 तक संस्थान को सीधे प्रेषित करने हेतु।

सहायक आयुक्त

कृते क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त